प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
20 दिसंबर,2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट - वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग (अनुपालन लेखा परीक्षा) संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 21 केंद्र सरकार, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग (अनुपालन लेखा परीक्षा) आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक .सी) एंड ए.जी की यह रिपोर्ट भारत सरकार के आठ (. साथ स्वायत्त निकायों और उनके अधीन-विभागों के साथ/वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेनदेन के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में पर्यावरणीय मुद्दों, खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियों, अक्षम परियोजना प्रबंधन, कर्मचारियों को दिए गए अनियमित वित्तीय लाभ और कम आंतरिक नियंत्रण से संबंधित पैराग्राफ शामिल हैं। इस रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष 11ोंं का एक विहंगावलोकन नीचे दिया गया है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अपने विभिन्न प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों के लिए संरचनाओं के निर्माण के लिए उचित परिश्रम और डीक्रय नियमावली के प्रावधा .एस.ओ.नों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना संविदाओं को निष्पादित किया। एकल निविदा संविदाओं के लंबे समय तक जारी रहने ,सुविधा वृद्धि में अनियमित व्यय ,निर्मित बुनियादी ढांचे के निष्क्रिय होने , साथ ही खराब संविदा प्रबंधन के मामले थे। ,कोडल प्रावधानों से विचलन

` का परिहार्य व्यय .करोड 28.09

वी में एक प्योर ग्रेड सोडियम (.सी.सी.टी) ने ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड .सी.एस.एस. क्लोरेट क्रिस्टल्स विनिर्माण संयंत्रस्थापित करने हेतु ` करोड़ का निवेश किया। निवेश 28.09 परिहार्य था क्योंकि बाजार में वैकल्पिक आपूर्तिकर्त्ता उपलब्ध थे। टी में निवेश के .सी.सी.

से बाजार दर से उच्चतर दर पर इन क्रिस्टल्स की .सी.सी.ने टी .सी.एस.एस.वी ,बावजूद जिसका परिणाम ,अधिप्राप्ति की`करोड़ के अधिक भुगतान के रूप में हुआ। 3.23

जीसैट 6-सैटलाईट का उपयोग ना होना

अंतरिक्ष विभाग ने ` 508 करोड़ की लागत से जी.सैट 6-उपग्रह का प्रक्षेपण किया लेकिन उपग्रह के भूखंड के तैयार ना होने की स्थिति के कारण उपग्रह का परिकल्पित उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरुप उपग्रह अपनी उम्र के आधे समय तक अनुपयोगी रहा।

सुल्लुरूपेटा के विकास पर `करोड़ का अनियम 7.57 ित व्यय

अंतरिक्ष विभाग ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अपने अधिदेश से परे आंध्र प्रदेश के , सुल्लुरूपेटा नगरपालिका के विकास से संबंधित कार्य को करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके चलते `करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। 7.57

चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रम के- अंतर्गत परियोजनाओं का प्रबंधन

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कुशलतापूर्वक प्रबंध नहीं किया। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जैसे परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन, अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना परियोजनाओं का आवधिक , अनुवीक्षण तथा सभीपूर्ण परियोजनाओं का समय पर मूल्याकंन नहीं किया गया था। उच्च प्रभाव जर्नलों में प्रकाशनों की संख्या ,परियोजना की खराब गुणवत्ता को इंगित करते हुए , -बहुत निम्न थी। चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1,203.40 ₹ करोड़ के संवितरण केबावजूद केवल एक पेटेन्ट को मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण सुधार क्षेत्र में ट्रांसलेशनल अनुसंधान हेतु परियोजनाओं की खराब योजना एवं परिणामों को इंगित करते हुए बिना किसी प्रौद्योगिकी हस्तांरण के स्वीकृत किया गया है।

प्रोत्साहनों और भत्तों की अनियमित स्वीकृति

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन अर्थात् विशेष वेतन अतिरिक्त वेतन वृद्धि और व्यावसायिक , अद्यतन भत्ते को स्वीकृति प्रदान की। अकेलेअनियमित व्यावसायिक अद्यतन भत्ते के भुगतान का वित्तीय निहितार्थ 54.60 ₹ करोड़ सीमा तक था।

वनस्पति उद्यान को सहायता योजना

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरु की गई एवं भारतीय वनस्पति , (.आई.एस.बी) सर्वेक्षण के माध्यम से ₹ 48.07 करोड़ की लागत पर कार्यान्वित योजना 'वनस्पति उद्यान की सहायता (ए.बी.जी.)' संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों के बाहरी संरक्षण और गुणन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। लक्षित पौधों की प्रजातियों के गुणन ना होने के कारण, उन्हें पुन:परिचय के लिए अन्य संगठनों को वितरित नहीं किया जा सका था। प्रमुख वनस्पति उद्यान और वनस्पति उद्यान एक दूसरे के साथ नेटवर्क नहीं बना सके और परिणामस्वरूप, उद्यान प्रजातियों के ज्ञान और विनिमय पौधों की सामग्री उत्पन्न करने में विफल रहे थे। इसके अलावा, संरक्षित पौधों की प्रजातियों को राज्य वन विभागों के सहयोग से प्राकृतिक आवासों में पुनर्वासित नहीं किया जा सका था। उद्यान भी प्रसार तकनीकों को विकसित करने में विफल रहे जिसने संरक्षण प्रयासों को प्रभावित किया था। इस प्रकार, ए.बी.जी. योजना के माध्यम से प्रजातियों के विलुप्त होने के संकट से बचने के लिए संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया था।

प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू नहीं किया जा सका।

अनुशंसाएं

(i) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को अपनी एजेंसियों (सी.पी.सी.बी., एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी.) के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रह और निपटान के संबंध में प्रभावी डाटा संग्रह के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और उनके कार्य निष्पादन के अनुवीक्षण की आवश्यकता है।

(ii) सी.पी.सी.बी. और राज्य पी.सी.बी./पी.सी.सी. के समन्वयन में स्थानीय निकायों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का एक व्यापक मूल्यांकन करने और आबादी का आकार, क्षेत्र के भौगोलिक आकार, आर्थिक विकास, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग और विनिर्माण प्रणालियों आदि में परिवर्तन जैसे मानकों के अनुसार डाटा एकत्र करने की आवश्यकता है।

(iii) सी.पी.सी.बी. और राज्य के पी.सी.बी./पी.सी.सी. अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे सभी

पी.आई.बी.ओ. की पहचान और पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि निर्माता की विस्तारित जिम्मेदारी के प्रावधानों का पालन किया जा सके।

(iv) स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली को निगमित करते हुए अपने उप-नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।

एक प्रदर्शन परियोजना पर `लाख का निष्फल व्यय। 73.35

एम.एफ.ई.ओ. एवं सी द्वारा अप्रभावी .सी.अनुवीक्षण तथा वित्तीय सहायता में विलंब का परिणाम जारी करने में प्रदर्शन परियोजना से पर्यावरणीय लाभों की अप्राप्ति तथा ₹ 73.35 लाखके निष्फल व्यय के रुप में हुआ।